15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 16(20) / एम.ई. / ग्रुप–1 / 2019 जयपुर, दिनांकः 13 APR 2022

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा / राजमेस, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, आर0यू0एच0एस0,जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।

विषयः– राजकीय अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफटवेयर द्वारा ऑनलाईन भरने के संबध में।

सन्दर्भः– संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–1 / गो0प्र0) विभाग, राज0 सरकार के पत्र क्रमांक–प013(51) कार्मिक / क–1 / गो.प. / 2022 दिनांक 30.03.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित परिपत्र द्वारा आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि कार्मिक विभाग द्वारा समस्त विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित समस्त अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा **2021–22** से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन(APAR) राजकाज सॉफटवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्रीमान आयुक्त महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के निर्देशानसार उक्त के संबध में समस्त विभागों / जिलों में पदस्थापित आई.टी. कार्मिकों को प्रशिक्षण दिनांक 12.04.2022 को Video Conferencing/ WebEx के माध्यम से दिया जा चुका है।

अतः आप सभी अपने समस्त राजकीय अधिकारियो / कर्मचारियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन SSO-ID से राजकाज सॉफटवेयर पर ऑनलाइन स्वयं द्वारा एवं विभाग में पदस्थापित पीएमयू की सहायता से भरे जाने हेतु निर्देशित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(इकबाल खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।

संयुक्त शासन सचिव

भीम

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022 जयपुर,दिनांकः 30 MAR 2022

–:परिपत्रः–

विषयः– राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरे जाने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2017 दिनांक 12.07.2017 के क्रम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ–साथ राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरा जावेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन (APAR) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नही किये जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनायी जावेगी।

राज्य सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में स्वंय के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नियत करेंगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे। प्रतिवेदित द्वारा निश्चित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भी स्वंय के स्तर पर प्रतिवेदन टिप्पणी कर अग्रेषित किया जा सकेगा।

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में अपनी टिप्पणी अंकित किया जाना जरूरी है, अन्यथा प्रतिवेदन बिना टिप्पणी/ग्रेडिंग के Auto Forward/Approval प्रणाली से अग्रिम स्तर पर अग्रेषित हो जायेगा।

वर्ष 2021–22 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नही किये जावेगे। परंतु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि माननीय जनप्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो उनके प्रतिवेदन ऑफलाईन भी भरे जा सकेंगे।

अतः राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज–काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की प्रक्रिया पृथक से जारी की जावेगी।

30/3/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव